संख्या– 27/10/2010–एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 21/7/2010

23 JUL 2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषयः चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शी समिति की दिनांक *19 मार्च, 2010* को आयोजित 77 वीं बैठक में विचार

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक *19 मार्च, 2010* को आयोजित 77 वीं बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा दिशा–निदेशों से आच्छादित न होने के कारण पर अस्वीकृत करने की संस्तुति की है । विस्तृत ब्यौरा संलग्नक पर है ।

समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियाँ की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा वास्तविक/चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत मान लिया गया है। संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों को उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिः–

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

संलग्नक 5 कार्मिकों की सूची

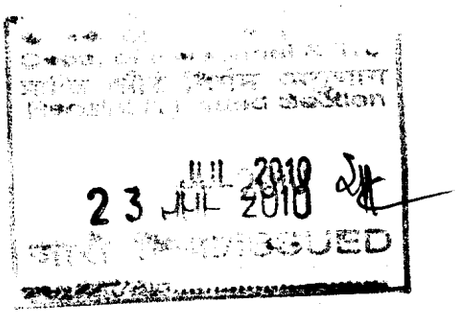

चिकित्सकीय व्यथा के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की 77वीं बैठक दिनांक 19 मार्च,, 2010 की बैठक में अस्वीकृत प्रत्यावेदन

माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बीमारी	नियुक्ति तिथि	राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुति
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, घोड़ाखुरी, टिहरी गढ़वाल	माताजी मानसिक रोग से ग्रस्त।	08.07.1999	राज्य चिकित्सा परिषद की रिर्पोट में श्री संजय कुमार की माता श्रीमती राम रति को मानसिक रोग से ग्रस्त बताया गया है। प्रश्नगत बीमारी उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित अधिसूचना दिनॉक 06 मार्च, 2009 से स्पष्टतया आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये श्री संजय कुमार को उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
2	श्री चरण सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, नागराजधार, कड़ाकोट, टिहरी।	पत्नी लम्बे समय से गुर्दा रोग से ग्रस्त।	23.09.1995	श्री चरण सिंह के प्रत्यावेदन पर राज्य परामर्शीय समिति की गत बैठक दिनॉक 25.02.2010 में चर्चा हुई थी। श्री चरण सिंह की पत्नी का रोग उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये श्री चरण सिंह को उत्तराखण्ड राज्य मे ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
3	श्री बच्चू सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, जितुवापीपल, नैनीताल	माता हृदय रोग से पीड़ित	07.09.1998	राज्य चिकित्सा परिषद की रिर्पोट में श्री बच्चू सिंह की माता श्रीमती शान्ती देवी को हृदय रोग से ग्रस्त बताया गया है। प्रश्नगत बीमारी उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित अधिसूचना दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये श्री बच्चू सिंह को उत्तराखण्ड राज्य मे ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।

(सारंगधर नायक)
(S. NAYAK)
अवर सचिव/Under Secretary
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

चिकित्सकीय व्यथा के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की 77वीं बैठक दिनांक 19 मार्च, 2010 की बैठक में दिनांक 17 नम्बर 2009 की बैठक के पुर्नविचार के उपरान्त अस्वीकृत प्रत्यावेदन

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बीमारी	राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुति
1	श्री महेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, नैनी, चौगर्खा– अल्मोड़ा।	वृद्व माता–पिता के गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरण।	श्री कमला प्रसाद मौर्य पिता श्री महेन्द्र कुमार को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अमर शहीद उमा नाथ सिंह जिला चिकित्सालय जौनपुर द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र संख्या–ई–1–/08–09, दिनांक 30–10–2008 के अनुसार श्री कमला प्रसाद मोर्य सैनाईल फीजियोस्कोलियेटि व डिर्फामिटीस्पाईन विद आर्थराईटिस के केस है व चलने फिरने में असमर्थ है। राज्य चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 अभिमत से सहमत है। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की राय के अनुसार पुर्नविचार के उपरान्त यह पाया गया कि यह बीमारी उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से पूर्णतः आच्छादित नहीं होती है। अतः समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य मे ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
2	श्री समोद कुमार मिश्र, प्रवक्ता–भौतिकी, राजकीय इण्टर कालेज, फौजीमटकोटा– उधमसिंह नगर।	पत्नी मानसिक रोगी।	श्रीमती आरती मिश्रा पत्नी श्री समोद कुमार मिश्रा की मानसिक रोग के विषय में विभागाध्यक्ष मानसिक चिकित्सा विभाग सी0एस0एम0 चिकित्सा विश्वविद्यालय की राय के अनुसार इन्हें व्टाईगो विद डिप्रेशन का रोगी बताया गया जिसकी इन्हें लम्बे समय तक विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता बतायी गयी है। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की राय के अनुसार पुर्नविचार के उपरान्त यह पाया गया कि यह बीमारी उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से पूर्णतः आच्छादित नहीं होती है। अतः समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य मे ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।

(सारंगधर नायक)
(S. NAYAK)
अपर सचिव/Addl. Secretary
कार्मिक एवं संगठन अनुभाग